न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 207 **दायर दिनांक : 03.10.2016**

1. मनीराम पुत्र मोतीराम
2. ओमप्रकाश पुत्र मनीराम

अकवाम जाट साकिनान 5 आरएम हाल सुरजनसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन, अनूपगढ़ शाखा, श्रीविजयनगर

—प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री राकेश सारस्वत्, अभिभाषक वादी
2. प्रतिवादी संख्या 02 एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 24.01.2017
4. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 17.08.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान व पैरोकार राज उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी संख्या 1 के नाम चक 11 जीएम खाता संख्या 25 प0नं0 201/14 (41) कि0नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 21/2 ता 25 की 4.276 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी संख्या 2 के नाम चक 11 जीएम खाता संख्या 3 प0नं0 201/14 (41) कि0नं0 1/2, 2,9,10/1 की 0.962 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण के नाम दर्ज उपर्युक्त खातेदारी भूमि के प0न0 201/14 (41) कि0न0 1/2, 2, 3 ता 5 की 5.00 बीघा में नहरी खाला प्रत्येक किलाजा में 0.025 है0 कुल 0.125 है0 यानि 0.10 बिस्वा भूमि गै0मु0 खाला के नाम दर्ज है। वादीगण उक्त खातेदारी भूमि में दर्ज 0.125 है0 गै0मु0 भूमि को कृषि योग्य घोषित करवाने के हकदार है। वादीगण उक्त खातेदारी भूमि प0नं0 201/14 (41) कि0न0 1/2, 2, 3 ता 5 तक कोई नहरी खाला नही है। जो कि अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन अनूपगढ़ शाखा खण्ड—I श्रीविजयनगर के पत्रांक 2614 दिनांक 11.10.2016 से स्पष्ट है। वादीगण ने उक्त रकबा गै0मु0 खाला के नाम से निकालकर कृषि योग्य घोषित करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष कई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये, किन्तु

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:40:45 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण को कोई अनुतोष नही प्राप्त हुआ है। इसलिये वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि वाके चक 11 जीएम प0नं0 201/14 (41) कि0न0 3 ता 5 में 0.075 है0 व वादी संख्या 2 की खातेदारी भूमि चक 11 जीएम प0न0 201/14 (41) कि0न0 1/2, 2 में 0.050 है0 कुल दोनो की 0.125 है0 यानि 0.10 बिस्वा गै0मु0 खाला भूमि को कृषि योग्य घोषित किया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 2 बावजूद सूचना उपस्थित आने पर उनके विरूद्ध दिनांक 24.01.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा दिनांक 13.09.2018 को जवाब स्टैट बंद कर दिया गया। प्रतिवादीगण का जवाब नही आने पर तनकीयात कायम नही की जाकर। पत्रावली में वादीगण के साक्ष्य प्राप्त कर तर्क सुने गये। विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को स्वीकार कर वाद अनुसार आदेशित कर डिक्री करने की प्रार्थना की।

पक्षकारान के तर्क सुनने के बाद तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक पठन व मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 अनुसार वाके चक 11 जीएम खाता संख्या 25 प0नं0 201/14 (41) कि0नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 21/2 ता 25 की 4.276 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि वादी सं. 1 मनीराम पुत्र मोतीराम तथा वादी संख्या 2 के नाम चक 11 जीएम खाता संख्या 3 प0नं0 201/14 (41) कि0नं0 1/2, 2,9,10/1 की 0.962 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जमाबन्दी अनुसार प0न0 201/14 (41) कि0न0 1/2, 2, 3 ता 5 में कुल 0.10 बिस्वा यानि 0.125 है0 भूमि गै0मु0 खाला के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड अनूपगढ़ शाखा खण्ड–I श्रीविजयनगर के पत्रांक/2614 दिनांक 11.08.2016 में भी यह स्पष्ट नही है कि उक्त गै0मु0 खाला की आवश्यक है या नही है? तथा वादीगण ने उक्त पत्र पर अपने बयानों के दौरान भी मूल पत्र प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित नही करवाए है। इसलिये इस पत्र को पढ़ा नही जा सकता है। वादीगण द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह स्पष्ट हो की यह अंकन पूर्व में राजस्व रिकार्ड में कैसे दर्ज हुआ हो। यहां यह भी स्पष्ट किया जा[illegible] है [illegible] इस न्यायालय को गै0मु0 को मुमकिन दर्ज करने के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:40:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

अधिकार नही है। इसलिए वाद वादी आधारहीन व साक्ष्य से सिद्ध नहीं होने से वाद वादी निरस्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण आधारहीन व साक्ष्य से सिद्ध नहीं होने से निरस्त किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:40:45 IST
Reason: SelfAttested

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–::परचा डिक्री::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1. मनीराम पुत्र मोतीराम
2. ओमप्रकाश पुत्र मनीराम

} अकवाम जाट साकिनान 5 आरएम हाल सुरजनसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन, अनूपगढ़ शाखा, श्रीविजयनगर

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा–88–188 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 207 वर्ष 2016 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री राकेश सारस्वत् तथा राजपैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद वादीगण आधारहीन व साक्ष्य से सिद्ध नहीं होने से निरस्त किया जाता है। डिक्री जारी हो। वाद खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करें।

नोज.....x.....मुबलिग..... x.....बाबत..... x.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह.....x.....फस्दों की पालना..... x....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17.08.2020 को जारी की गई।

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:40:45 IST
Reason: SelfAttested